Department of Industries & Commerce, Haryana

Form-VII

"Revised Certificate of Registration issued under Section 9(4) of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 upon allotment of a new registration number"

(See sub-rule (2) of rule 8)

Revised Certificate of Registration of Society

I hereby certify that **R.P. Education Society**(name of the society) registered vide registration number on 2016-06-01 20:21:10 Registered with District Registrar has been allotted a new Registration Number as undermentioned on this 01 day Jun month 2016 year under the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 (Haryana Act No. 1 of 2012).

State Code		District Code			Year Of Registration				Registration Number				
H	R	1	1		2	0	1	6	0	1	4	6	7

Name Of the Society	Registered Office Address
R.P. Education Society	Burj Bhangu

Issued under my hand at [Sirsa] this [01] day of (month)[Jun] (Year)[2016] having Unique Identification Number - 2001111956

Distt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana

Issuing Authority
District Registrar,
Sirsa
(Signature of District Registrar)

SOME IMPORTANT PROVISIONS OF THE HRRS ACT 2012 TO BE FOLLOWED :

- One Flat one vote.
- Videography of each meeting/ election of society is mandatory.
- Collegium Scheme to be approved from District Registrar if members strength is more than 300.
- Administrator if appointed will not enroll new members, incur capital expenditure and give employement in the society.
- Terms of Governing Body not to be more than 3 years.
- Member to be not less than 21 year age.
- Office bearers of society (Three to twenty one).
- General Body and other meeting should be conducted with quorum i.e 1st meeting - 40%, 2nd meeting - 25% and 3rd meeting - 15%
 (see entire Provisions)
- Submission of mandatory Annual Returns i.e. list of members, list of members of collegium, list of office bearers, Annual Report on working, Balance Sheet & Auditors Report, Copy of special resolution otherwise shall attract penalities & fines as per provisions of Act.
- In case of Joint Apartment owners, 1st owner will be eligible to contest the elections.
- Proxy voting not allowed.
- Condominium/ Association covered under Apartment Ownership Act 1983 is to be formed by owners only.
- Election observer may be appointed by District Registrar or on request of Society

Verification Link: https://haryanaindustries.gov.in/msme/verify/societyexistingregistration/id/111956

Governing Body of the Society

R.P. Education Society
Burj Bhangu Distt SIRSA

SNo.	Name of Member	Membership Number	Full Address	Date of Enrollment	Designation	Mobile Number
1	Janak Raj	1	V. Buraj Bhangu	2016-05-08	President	
2	Suresh Kumar	2	VPO Jodhkan	2016-05-08	Vice President	
3	Saroj Bishnoi	3	VPO Buraj Bhangu	2016-05-22	General Secretory	
4	Raj Pal	4	V. Shekhupuria	2016-05-22	Treasurer	
5	Harish Chander	5	V. Dhaban	2016-05-22	Executive Member	
6	Nathu Ram	6	V. Shekhupuria	2016-05-22	Executive Member	
7	Vinod Kumar	7	V. Darba Khurd	2016-05-22	Executive Member	

Members of the Society

SNo.	Name of Member	Membership Number	Full Address	Date of Enrollment	Aadhar Number	Mobile Number
1	Janak Raj	1	V.P.O. Buraj Bhangu	2016-05-22	567625417133	9896900029
2	Suresh Kumar	2	V. Jodhkan	2016-05-22	412036586633	9416091761
3	saro Bishnoi	3	V. Buraj Bhangu	2016-05-22	707657721874	8199902900
4	Raj Pal	4	V. Shekhupuria	2016-05-22	770482347115	8199902901
5	Harish Chander	5	V. Dhaban	2016-05-22	920132678184	9416374740
6	Nathu Ram	6	V. Shekhupuria	2016-05-22	857989878722	9813108330
7	Vinod Kumar	7	V. Darba Khurd	2016-05-22	708387723849	972866992
8	Parveen Kalra	8	VPO Sikanderpur	2016-05-22	212914771379	8059378025
9	Manish Kumar	9	V. Mallewala	2016-05-22	723013580205	9416085814
10	Jagdish Bhadu	10	V. Malikpura	2016-05-22	856975641377	9468090037

सोसाइटी का आदर्श 'मेमो आफ'

क्रम संख्या	विषय	वर्णन
1	सोसाइटी का नाम	आर पी एजुकेशन सोसायटी
2	सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर होगा:	गांव भुर्जमंगू जिला सिरसा
3	अधिकारिता	सोसाइटी हरियाणा राज्य के सिरसा जिले में कार्य करेगी।
4	सोसाइटी के लक्ष्य तथा उद्देश्य	उद्देश्य जो किसी सोसाइटी के लिए विशेष हैं नीचे वर्णित किये जाएगें। कुछ उपदर्शित उद्देश्य निम्न अनुसार होगें।

1) आर पी एजुकेशन सोसायटी, सिरसा जिला सिरसा का संचालन करना।

2) शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, प्रशिक्षण संस्थान खोलना, उसका संचालन करना तथा इससे सम्बंधित तमाम कार्यवाही करना।

3) शिक्षण संस्थाओं में योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करना।

4) शिक्षा प्रसार हेतु पुस्तकालय वाचनालय खोलना इत्यादि।

5) शिक्षा के साथ-साथ नैतिक शिक्षा व विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक व चरित्र निर्माण करना।

6) शिक्षा बोर्ड, विश्व विद्यालयों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों को लागू करना।

7) संस्था के लिए राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार से सहायता लेना।

8) संस्था से सम्बंधित चल-अचल सम्पति की देखभाल करना, खरीद करना व लीज पर लेना।

प्रधान

उपप्रधान

सांगत

Distt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana

5. सोसाइटी के प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के नाम जिसको प्रबन्धन कार्यों के नियत तथा उप विधियां सौंपी जाती है वे निम्न अनुसार है।

क्रम संख्या	नाम व पिता का नाम	जन्म तिथि	पता	व्यवसाय	पद	हस्ताक्षर
1	Janak Raj S/o Sh. Richhpal Singh	04.06.77	V.P.O. Buraj Bhangu Distt. Sirsa	Agriculturist	President	
2	Suresh Kumar S/o Sh. Prem Chand	04.10.77	V.P.O. Jodhkan Distt. Sirsa	Teacher	Vice President	
3	Saroj Bishnoi W/o Sh. Janak Raj	25.09.80	V.P.O. Buraj Bhangu Distt. Sirsa	Teacher	Secretary	
4	Raj Pal S/o Sh. Parkash Chahar	12.08.79	V. Shekhupuria Tehsil Rania Distt. Sirsa	Govt. Teacher	Cashier	
5	Harish Chander S/o Sh. Din Dayal Mehta	16.07.77	V. Dhaban P.O. Baragudha Distt. Sirsa	Agriculturist	Member Committee	
6	Nathu Ram S/o Sh. Balwant Singh	05.04.74	V. Sheikhupuria Tehsil Rania Distt. Sirsa	Professor	Member Committee	
7.	Vinod Kumar S/o Sh. Rameshwar	04.06.75	V. Darba Khurd Distt. Sirsa	Teacher	Member Committee	

Sarpanch
Numberdar
Buj Bhangu (Sirsa)

सरपंच
ग्राम पंचायत, बुर्जभंगू
(सिरसा)

Distt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana

कॉलिजियम के बिना सोसाइटी (बहु उद्देशीय) के लिए आदर्श उपविधियां

क्रम संख्या	विषय	वर्णन
1	सोसाइटी का नाम	आर पी एजुकेशन सोसायटी
2	सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर होगा:	गांव गुजमिंगू जिला सिरसा
3	सोसाइटी हरियाणा राज्य के क्षेत्र के भीतर सिरसा जिला में अपनी मुख्य गतिविधियां करेगी।	

4. सदस्यता :

(1) सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों/मूल अंशदाता सहित अधिकतम 250 सदस्य होंगे।

(2) पात्रता: सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश किए जाने के उद्देश्य से व्यक्ति:

(i) प्रवेश की तिथि को 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए।

(ii) सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में अंशदान करना चाहिए

(iii) प्रवेश फीस तथा वार्षिक अंशदान फीस जमा करने चाहिए तथा सदस्य के रूप में बने रहने के लिए वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को ऐसी फीस के भुगतान के बकाया में नहीं होने चाहिए।

(iv) दिवालिया तथा विकृत चित नहीं होना चाहिए।

(v) एक वर्ष या अधिक के कारावास वाले नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का सिद्धदोष नहीं होना चाहिए।

(3) सदस्यों की प्रकार/किस्म/प्रवर्ग: सोसाइटी निम्न अनुसार सदस्यों के चार विभिन्न प्रवर्गों की होगी:

I. संस्थापक सदस्य: सदस्य जो सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के समय पर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है तथा सोसाइटी को अपेक्षित सदस्यता फीस का भुगतान कर दिया है। संस्थापक सदस्यों की संख्या 11 से अधिक नहीं होगी। संस्थापक सदस्य सोसाइटी के आजीवन सदस्य बने हुए भी समझे जाएंगे तथा यानि सोसाइटी के सदस्यों की कुल संख्या 300 से अधिक है, तो निर्वाचन के बिना कॉलिजियम के सदस्य होने के नाते विशेषाधिकार रखेंगे।

II. आजीवन सदस्य: किसी व्यक्ति के विहित फीस के भुगतान पर आजीवन सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है तथा ऐसा व्यक्ति उसके जीवन के लिए सोसाइटी का सदस्य के रूप में बना रहेगा। आजीवन सदस्यों की कुल संख्या 11 से अधिक नहीं होगी।

प्रधान

उपप्रधान

Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana

III. साधारण सदस्यः सोसाइटी में कुल 11 साधारण सदस्य होगें व उनकी वार्षिक अंशदान फीस के भुगतान के बकाया में न होने तक केवल अपनी सदस्यता का निरन्तर उपभोग करेंगें। साधारण सदस्य को पदावधि सदस्य के रूप में अर्थात दो से पांच वर्ष (वर्षों) जैसी भी स्थिति हो, की अवधि के लिए शामिल किया जा सकता है तथा वह उसकी पदावधि के पूरा होने पर सोसाइटी के सदस्य के रूप में समाप्त जब तक रहेगा तब तक दूसरी पदावधि के लिए शासकीय निकाय द्वारा इसें नदीकृत नहीं किया जाता है।

IV. अवैतनिक सदस्यः शासकीय निकाय विख्यात प्रतिभा तथा मैरिट के व्यक्तियों को शामिल कर सकती है या जिसकी संस्था सोसाइटी के लिए लाभप्रद के रूप में समझी जाती है या जिसमें सोसाइटी के लिए उत्कृष्ट मैरिट की सेवाए अर्पित की है या जो सोसाइटी के अवैतनिक सदस्य के रूप में भारत का या किसी अन्य देश का विख्यात नागरिक है, को व्यक्तिगत सहमति प्राप्त करने के बाद किसी सदस्यता था अंशदान फीस के भुगतान के बिना शामिल किया जा सकता है। ऐसे अवैतनिक सदस्यों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। अवैतनिक सदस्य बैठक में उपस्थित होने तथा विचार विमर्श में सहायक होगें किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदानः

I. सोसाइटी की सदस्यता के लिए दरें तथा वार्षिक अंशदान निम्न अनुसार होगा :

जो सोसायटी की सदस्यता के लिए दरें तथा वार्षिक अंशदान निम्न अनुसार होगाः			
क्रम संख्या	सदस्य की किस्म	प्रवेश किस्म	वार्षिक अंशदान
1	संस्थापक सदस्य	5,000/– रूपए	शून्य
2	आजीवन सदस्य	1,000/– रूपए	शून्य
3	साधारण सदस्य	100/– रूपये	1000/– रूपए
4	अवैतनिक सदस्य	शून्य	शून्य

II. सदस्य के वार्षिक अंशदान का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को दय होगा, जो ऐसे वर्ष के जून के 30वें दिन तक अन्तिम रूप में भुगतान किया जा सकता है। चूककर्ता सदस्य की सदस्यता देय तिथि (30 जून) के बाद निलम्बनाधीन के रूप में समझी जाएगी तथा ऐसा सदस्य कथित वर्ष की प्रथम जुलाई के बाद कराए गए सोंसाइटी के निर्वाचनों के दौरान अपना मत डालने के लिए पात्र नहीं होगा।

III. वार्षिक अंशदान के भुगतान में चूक के कारण सदस्यता का निलम्बन भुगतान यथेय राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज सहित चूक को चुकाने के बाद रद्द किया जा सकता है। तथापि, वह बाकी के वित्तीय वर्ष के दौरान कराए गए किसी निर्वाचन में अपना मत डालने के लिए पात्र नहीं होगा।

प्रधान

उपप्रधान

Dist. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana

(5) प्रवेश प्रक्रिया (अंशदाता से अन्यथा सदस्यों के लिए):

I. सोसाइटी के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति का प्रवेश समय समय पर इसके शासकीय निकाय द्वारा निर्णीत किया जाएगा:

II. सोसाइटी के सदस्य के रूप में इच्छुक व्यक्ति विहित प्ररूप में तथा विधिवत भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित तथा सोसाइटी के नियमित सदस्य द्वारा अनुशासित सचिव को समर्थित दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा।

III. सचिव आवेदन की जांच करेगा तथा उसे निर्णय के लिए शासकीय निकाय के सम्मुख रखेगा।

IV. शासकीय निकाय आवेदन को स्वीकृत या रद्द कर सकता है तथा इस सम्बंध में शासकीय निकाय का निर्णय अन्तिम होगा। वह इसके निर्णय के लिए कोई कारण देने हेतु बाध्य नहीं होगा।

V. शासकीय निकाय का अनुमोदन सदस्य को सूचित किया जाएगा उसका नाम हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन नियम, 2012 के अधीन यथा विहित ऐसी रीति तथा प्ररूप में रखे जाने वाले सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाए तथा उसे सोसाइटी का पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

(6) प्रत्येक सदस्य के लिए पहचान पत्र सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक सदस्य के व्यक्तिगत सदस्य तथा मुख्य सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उसके फोटो, सहित तथा सदस्यता प्रवर्ग वाला पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

(7) सदस्यों के अधिकार तथा बाध्यताएं :

I. सोसाइटी के सभी सदस्य इसकी उपविधियों में यथा अन्तर्विष्ट तथा समय समय पर संशोधित सोसाइटी के नियमों तथा विनियमों द्वारा बाध्य होंगे।

II. अवैतनिक सदस्य के सिवाए प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के निर्वाचन में अपना मत डालने का अधिकार होगा परन्तु ऐसा सदस्य सोसाइटी के किसी देयों से आगे तीन मास की अवधि के लिए वार्षिक अंशदान के भुगतान में चुककर्ता नहीं है।

III. सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को सात दिन का नोटिस देते हुए किसी कार्यदिवस को सोसाइटी की लेखा पुस्तकों, सामान्य बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत वाली शासकीय निकाय वाली बैठकों तथा सदस्यों के रजिस्टर का निरीक्षण का अधिकार होगा।

IV. प्रत्येक सदस्य उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में सोसाइटी को सूचित करेगा। जो सोसाइटी के सदस्यों के रजिस्टर में विधिवत् अभिलिखित किया जाएगा तथा जिसके बाद सोसाइटी ऐसे सदस्य को नया पहचान पत्र जारी करेगी।

(8) सदस्यता की समाप्ति: सदस्य के रूप में शामिल कोई व्यक्ति निम्नलिखित घटनाओं में सोसाइटी के सदस्य के रूप में नहीं रहेगा :

I. अधिनियम की धारा 22 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को आकर्षित करने

II. सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रतिकूल उसके कार्य करने

Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana

III. ऐसे सदस्य के सोसाइटी की निधियों का वित्तीय गबन का दोषी पाए जाने पर

IV. सोसाइटी के जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार/महा रजिस्ट्रार द्वारा हटाने के अभ्यारोपण तथा निदेशनों पर,

V. अवैतनिक सदस्य सोसाइटी के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाएगा यदि शासकीय निकाय इस निमित संकल्प पारित करते हुए ऐसा निर्णय करता है :

सामान्य निकाय:

(1) सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति सोसाइटी के शासकीय निकाय का सदस्य होगा तथा सोसाइटी के शासकीय निकाय के निर्वाचन के लिए अपना मत डालने के लिए जब तक हकदार होगा तब तक वह वार्षिक अंशदान सहित सोसाइटी के किसी देयों के भुगतान के बकायों में नहीं रहता है।

(2) प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप में अपना मत डालेगा तथा कोई भी प्रतिपुरुष मतदान अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

सामान्य निकाय की बैठकें :

I. सोसाइटी के सामान्य निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो, बुलाई जाएगा। तथापि सोसाइटी के सामान्य निकाय की कम से कम एक बैठक बुलाई जाएगी। जैसा कि वार्षिक सामान्य बैठक (ए जी एम) तथा अपेक्षित के किसी अन्य कारोबार के संव्यवहार के अतिरिक्त सोसाइटी के विधिवत लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों के विचारण तथा अंगीकरण के लिए वित्त वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर एक वर्ष में बुलाई जाएगी।

II. सोसाइटी का शासकीय निकाय या तो स्वयं या सामान्य निकाय के सदस्यों के कम से कम 1/10 वें ऐसी बैठक बुलाने के लिए कारणों सहित लिखित मांगों की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर इसके अधीन यथा विहित उचित नोटिस देने के बाद किसी समय पर सोसाइटी के सामान्य निकाय की असाधारण बैठक बुला सकता है।

III. सामान्य निकाय की किसी बैठक के लिए संव्यवहारित किए जाने वाले कारबार के ब्यौरे की प्रति बैठक की दिनांकमय तथा स्थान सहित कम से कम 14 दिन का स्पष्ट नोटिस सामान्य निकाय के सदस्यों को दिया जाएगा। ऐसे नोटिस की एक प्रति जिला रजिस्ट्रार को पृष्ठांकित की जाएगी।

IV. सामान्य निकाय की बैठक सामान्य निकाय के सदस्यों के बहुमत द्वारा (कुल सदस्यों का कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक) यदि सहमत हो, लघु नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है।

V. सामान्य निकाय की बैठक के लिए गणपूर्ति अधिकतम चार सदस्यों के अधीन गठ के लिए हकदार तथा व्यक्तिगत रूप में उपस्थित कुल सदस्यों के 10 गणपूर्ति की कमी के लिए स्थगित बैठक की दशा में स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति अधिकतम तीन के अधीन, कुल सदस्यों

Registrar of Societies
GOVT. OF HARYANA
Department of Industries & Commerce

नहीं होगी। सामान्य निकाय किसी विशेष संकल्प के विचारण के सिवाए ऐसी स्थगित बैठक में सभी कारबार पूरे करने के लिए सक्षम होगा। कोई विशेष संकल्प केवल ऐसी स्थगित बैठक में पारित किया जाएगा यदि सोसाइटी के कुल सदस्यों का कम से 25 प्रतिशत उपस्थित है:

VI. सामान्य निकाय की सभी बैठकों की कार्यवाहिया सचिव द्वारा प्रयोजन के लिए रूप से रखी गई कार्यवृत पुस्तक (बांधी गई या खुले पन्नों में) में अभिलिखित की जाएगी तथा ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सोसाइटी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

7. सामान्य निकाय की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य :

I. सोसाइटी को इसके लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का अवधारण करने तथा पूरा करने में गाइड करना।

II. प्रक्रिया मामलो का निर्णय करना जैसे कि सोसाइटी के नाम का परिवर्तन, सोसाइटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों में संशोधन, सोसाइटी के वार्षिक लेखों का अनुमोदन, सोसाइटी इत्यादि की अंतल परिसम्पतियों के निपटान के लिए अनुमदोन तथा सभी ऐसे अन्य कार्य जो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम तथा नियम 2012 के अधीन अपेक्षित हो।

III. शासकीय निकाय के सदस्यों को निर्वाचित करना।

IV. शासकीय निकाय से किसी सदस्य को हटाना तथा आकस्मिक रिक्ति के विरूद्ध शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बनाए रखने के लिए अनुमोदन प्रदान करना।

8. शासकीय निकाय:

(1) संयोजन: सोसाइटी का शासकीय निकाय निम्न अनुसार कुल 5 पदाधिकारियों तथा सदस्यों का होगा।

I. प्रधान
II. उपप्रधान
III. सचिव
IV. खजांची
V. मैम्बर कमेटी
VI. शासकीय निकाय द्वारा किसी अवैतनिक सदस्य के सहयोजन सहित अन्य सदस्य।

प्रधान

उपप्रधान

Distt. Registrar, Firms, Societies
Department of Industries & Commerce Haryana

2) शासकीय निकाय का निर्वाचन :

I. शासकीय निकाय की अवधि जिला रजिस्ट्रार द्वारा इसके निर्वाचन के अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष की होगी।

II. शासकीय निकाय निर्वाचनों को करवाने के लिए निर्वाचन की अनुसूची घोषित करेगी तथा रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा तथा निर्वाचनो को करवाने के लिए सामान्य बैठक को बुलाने से कम से कम 45 दिन पूर्व मत के हकदार सामान्य निकाय के सदस्यों की सूची भी अधिसूचित/प्रदर्शित करेगा। शासकीय निकाय तिथि, समय तथा रीति सूचित करते हुए सभी सदस्यों को शासकीय निकाय के निर्वाचन करवाने के लिए नोटिस भी भेजेगा। शासकीय निकाय के लिए निर्वाचन करवाने के सम्बंध में सूचना जिला रजिस्ट्रार को पर्यवेक्षक नियुक्त करने के लिए भी भेजेगा, यदि वह ऐसी इच्छा करे।

III. मत के लिए हकदार सोसाइटी के सदस्यों की सूची के रूप में किसी आक्षेप का सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ परामर्श से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाएगा। तथापि, रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय सद्भाव की किसी निन्नता की घटना में अन्तिम होगा। उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी शासकीय निकाय के पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन की अनुसूची, नामांकन की संवीक्षा तथा वापसी, यदि कोई हो, में विहित अवधि के भीतर दायर किए जाने के लिए नामांकन आमंत्रित करेगा।

IV. रिटर्निंग अधिकारी सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर चुनाव लड़ने वाले सदस्यों की सूची प्रदर्शित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित तिथि को निर्वाचन करवाएगा। मत के लिए पात्र सदस्य की स्वयं तथा जहां कहीं विवाद हो, सोसाइटी द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रस्तुति पर अपना मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

V. मतदान की तिथि को समय की समाप्ति के बाद, रिटर्निंग अधिकारी परिणाम घोषित करेगा तथा सोसाइटी का शासकीय निकाय गठित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित शासकीय निकाय के निर्वाचित पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों की सूची 30 दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार के पास दायर करेगा, जो अपना सन्तुष्टि पर उसका अपना अनुमोदन प्रदान करेगा।

VI. सोसाइटी के पदाधिकारी सोसाइटी की सेवाए देने के लिए किसी पारिश्रमिक के लिए हकदार नहीं होगें।

(3) शासकीय निकाय की किसी आकस्मिक रिक्त को भरना:

शासकीय निकाय के किसी सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से उत्पन्न कोई रिक्ति सोसाइटी की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक करने तक सदर्थ आधार पर सामान्य निकाय के सदस्यों मे से, यदि अपेक्षित हो, शासकीय निकाय द्वारा भरी जा सकती है। शासकीय निकाय के ऐसे सदर्थ सदस्य आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को शासकीय निकाय के सदस्य के ऐसे सदर्थ सदस्य आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाएगा, यदि उसको नियुक्ति शासकीय निकाय की शेष अवधि के लिए बहुमत द्वारा सामान्य बैठक में अनुमोदित नहीं की जाती है।

प्रधान

उपप्रधान

सचिव

Department of Industries & Commerce, Haryana
GOVT. OF HARYANA

(4) शासकीय निकाय की बैठक –

I. शासकीय निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो बुलाई जाएगी। तथापि, शासकीय निकाय प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा तथा वित्त वर्ष में शासकीय निकाय की कम से कम चार बैठक होगी।

II. प्रत्येक ऐसी बैठक का तीन दिन का स्पष्ट नोटिस बैठक के लिए नियत तिथि से पूर्व पदाधिकारियों तथा सदस्यों को शासकीय निकाय के सचिव द्वारा किया जाएगा। तथापि, शासकीय निकाय इसके सदस्यों के कम से कम 50 प्रतिशत की सहमति से जब कभी ऐसा अपेक्षित हो, लघु नोटिस पर बैठक कर सकता है।

III. शासकीय निकाय की बैठकों की गणपूर्ति, अधिकतम 5 सदस्यों अध्यधीन, शासकीय निकाय के कुलए सदस्यों के कम से कम 40 प्रतिशत से होगी। यदि गणपूर्ति विद्यमान नहीं है तो बैठक दूसरी तिथि के लिए स्थगित कर दी जाएगी। जिसके लिए उचित नोटिस जारी किया जाएगा। अधिकतम तीन सदस्यों के अध्यधीन स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्य स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे।

IV. शासकीय निकाय की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां इस प्रयोजन के लिए पृथक रूपम रखी गई कार्यवाही पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी। ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सोसाइटी के सचिव कार्यवृत इस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो वे शासकीय निकाय द्वारा यथा प्राधिकृत बैठक में उपस्थित किन्हीं दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

V. शासकीय निकाय की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत शासकीय निकाय की परवर्ती बैठक में पुष्टि के लिए रखे जाएंगे।

(5) शासकीय निकाय की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य

I. शासकीय निकाय सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा तथा सोसाइटी के सर्वोत्तम हित में कार्य करेगा जिसके लिए इसे कथित उद्देश्यों के लिए सोसाइटी की निधियों तथा परिसम्पत्तियों के फैलाव के लिए सशक्त किया जाएगा,

II. शासकीय निकाय इस द्वारा यथा विर्णित इसके नाम से विधियां उठाने तथा पूर्णस्वामित्व या पट्टा आधार पर चल तथा अचल सम्पत्ति खरीदने के लिए सक्षम होगा।

III. शासकीय निकाय सोसाइटी से सम्बंधित या में निहित सभी अचल सम्पत्तियों तथा चल परिसम्पत्तियों का सम्पूर्ण प्रभार रखेगा तथा इन्हें ऐसी रीति में प्रबन्धित करेगा जैसा यह सोसाइटी के शासकीय निकाय के सम्पूर्ण नियन्त्रण तथा निर्देशन के आधीन उचित समझे।

IV. शासकीय निकाय रीति जो वह सोसाइटी के सर्वोत्तम हित में उचित समझे, में निधियां निवेश करने के लिए सक्षम होगा तथा यह निर्णीत रीति में सोसाइटी की ओर से सम्पत्तियां उधार लेने या गिरवी रखने या बन्धक रखने के लिए सक्षम होगा।

Office of the Dy. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

Ashok Kumar
Ajay Kumar

V. ऐसे कृत्यों जो समय समय पर सौंपे जाएं की देखभाल करने के लिए विभिन्न स्थानों या तदर्थ समितियां गठित करना।

VI. सीधिगहीन रीति में लिपिकीय, लेखा तथा अन्य कृत्यों की देखभाल करने के लिए सोसाइटी के नियमित या अंशकालिक कर्मचारियों को लगाने के लिए प्रबन्ध सूचित करना।

VII. बाहरी स्त्रोत से कतिपय कृत्य करना अर्थात सोसाइटी के परिसरों की सफाई रखना तथा तत्सम अन्य रखरखाव गतिविधियां।

(ङ) शासकीय निकाय के व्यक्तिगत सदस्यों की शक्तियां, कृत्यु तथा कर्तव्यः

(क) प्रधान

I. सामान्य निकाय की तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाहियां नियन्त्रित करना।

II. सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा समय समय पर सामान्य निकाय तथा/या शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा।

III. किसी मामले पर विचार विर्मश को अनुज्ञात या अस्वीकार करना जो एजेंडे में शामिल नहीं किया जाता है।

IV. सोसाइटी/शासकीय निकाय के उचित तथा पारदर्शी कृत्य करना सुनिश्चित करना।

V. हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करना।

VI. सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की सम्पूर्ण गतिविधियों/उपलब्धियों के पर्यवेक्षण तथा गाइड करना।

(ख) उपप्रधान

I. प्रधान की उसके कर्तव्यों को करने में सहायता करना।

II. प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान की ओर से कार्य करना तथा सभी कर्तव्यों को पूरा करना तथा सभी शक्तियों का प्रयोग करना।

III. सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

(ग) महासचिव/सचिव

I. सोसाइटी के सभी कार्यों को करना, संघटित करना, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध करना तथा सोसाइटी के कार्य के लिए सभी ऐसे कार्य करना तथा सभी ऐसे [illegible] प्रधान/शासकीय निकाय द्वारा सौंपे जाए;

II. शासकीय निकाय के सम्मुख सोसाइटी की सदस्यता के लिए आवेदन प्राप्त [illegible] करना तथा रखना तथा सदस्य का नाम उसके आचरण के अधीन सदस्यों [illegible] यदि अनुमोदित हो, दर्ज करना तथा उसके बारे में सदस्यों को [illegible] प्रकार शामिल किए गए सदस्यों को सदस्यता पत्र जारी करना।

Dist. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान उपप्रधान सचिव

III. प्रधान की सहमति से सामान्य निकाय/शासकीय निकाय की बैठक आयोजित करना तथा इन उपविधियों के अधीन यथा विहित उचित नोटिस तामील करना।

IV. सामान्य निकाय तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों में हाजिर होना तथा बैठकें करने में प्रधान की सहायता करना तथा सभी बैठकों की कार्यवाहियों का रिकार्ड करना।

V. सोसाइटी की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसे रखने के अनुमोदन के लिए सोसाइटी के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों सहित शासकीय निकाय के सम्मुख उसे रखना।

VI. सोसाइटी/शासकीय निकाय का रिकार्ड रखना तथा परीक्षण करना।

VII. सोसाइटी के सम्पूर्ण कार्यों की देखभाल करने में तथा सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रधान की सहायता करना तथा सहयोग देना।

VIII. जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में सभी वैधानिक विवरणी/दस्तावेजों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारों को समय पर दायर करना सुनिश्चित करना जो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित किए जाएं।

IX. सोसाइटी की सामान्य मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए अभिरक्षक होना तथा शासकीय निकाय के अनुमोदन के अनुसार जहां कहीं अपेक्षित हो, उसे लगाना।

X. सोसाइटी/शासकीय निकाय की ओर से पत्राचार करना तथा उसकी ओर से पत्रों तथा कागजों पर हस्ताक्षर करना तथा सुनिश्चित करना कि सभी वैधानिक रजिस्टर तथा रिकार्ड को उचित रूप से रखे तथा अनुरक्षित किए जा रहे है।

XI. निर्वाचन तथा वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को घोषणा से पूर्व मत के लिए पात्र सदस्यों की सूची तैयार, विधिवत अद्यतन करना तथा शासकीय निकाय के सम्मुख इसे रखना।

XII. सोसाइटी के सभी कार्यक्रमों के प्रशासन तथा निष्पादन के सम्पूर्ण प्रभारी के रूप में कार्य करना/जिसमें पदों का सृजन, वेतन/पारिश्रमिक/भत्तों इत्यादि का नियतन, अगले की नियुक्तियां करने/लगाने, खरीद करने सहित शासकीय निकाय की ओर से वित्तीय कार्य शामिल है तथा सभी अन्य ऐसे काम करना जो समय समय पर शासकीय निकाय द्वारा प्रत्यायोजन के अनुसार सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रोत्साहन में आवश्यक हों तथा जहां कोई भी ऐसा प्रत्यायोजना सोसाइटी के प्रधान के परामर्श से विशिष्ट रूप से नहीं किया जाता है।

(घ) <u>संयुक्त सचिव</u>

I. सोसाइटी के महासचिव/सचिव की उसके कृत्यों तथा कर्तव्यों के करने में सहायता करना।

II. शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत सीमा तथा उसकी अनुपस्थिति में सोसाइटी के महासचिव/सचिव के कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करना।

District Registrar of Societies ★ Department of Industries & Commerce Haryana ★ GOVT. OF HARYANA

III. ऐसे कृत्यों तथा कार्यों की देखभाल करना तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जो समय समय पर सोसाइटी के शासकीय निकाय द्वारा सौंपे तथा प्रत्यायोजित किए जाए।

(ङ) खजांची

I. सोसाइटी के सभी वित्तीय सव्यवहारों तथा सोसाइटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई सम राशियों के लेखे रखना तथा ऐसे मामलों से सम्बंधित तथा परिसम्पति, जमा तथा दायित्वों की प्राप्तियों तथा खर्चों के रिकार्ड रखना।

II. प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शासकीय निकाय द्वारा नियुक्त चार्टड लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित सोसाइटी के लेखे प्राप्त करना।

III. वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम एक मास पूर्व सोसाइटी के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे सचिव/सचिव के माध्यम से शासकीय निकाय को प्रस्तुत करना।

IV. सोसाइटी की सभी लेखा पुस्तकों, वित्तीय विवरणी, रसीद पुस्तकों, व्यय वाउचरों बैंक पास बुक तथा चैक बुक, नकदी इत्यादि के सम्पूर्ण अभिरक्षक के रूप में काम करना।

(च) शासकीय निकाय के सदस्यों की समाप्ति: शासकीय निकाय के पदाधिकारी/कार्यकारी सदस्य पदाधिकारी/कार्यकारी दस्य के रूप में नहीं रहेगें।

I. उसके त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर तथा स्वीकृति पर,

II. यदि वह इन उप विधियों के खण्ड 4 के उप खण्ड (3) के अनुसार सदस्य के रूप में नहीं रहा है,

III. यदि उसे सामान्य निकाय की बैठक में पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है।

(छ) सोसाइटी के नियोजन से अपवर्जन :

I. सोसाइटी का कोई भी सदस्य सोसाइटी के पूर्ण कालिक या अंशकालिक नियोजन में नहीं रहेगा।

II. शासकीय निकाय के पदाधिकारियों तथा सदस्यों का कोई भी आश्रित या पारिवारिक सदस्य या निकट सम्बंधी उसकी अवधि के दौरान सोसाइटी के कर्मचारी के रूप में नहीं लगाया जाएगा,

III. शासकीय निकाय का प्रत्येक पदाधिकारी तथा सदस्य घोषणा करेगा यदि सोसाइटी के नियोजन में कोई व्यक्ति उसका निकट सम्बंधी है।

(ज) सोसाइटी के संगम ज्ञापन, उपविधियों नाम इत्यादि में संशोधन: सोसाइटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों या नाम का परिवर्तन, समामेलन या विभाजन में कोई संशोधन विशेष संकल्प के द्वारा केवल सामान्य निकाय के अनुमोदन से किया जाएगा। प्रस्तावित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति सहित किसी ऐसे संशोधन या [illegible] सूचना समय के भीतर सचिव/सचिव द्वारा जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में दायर की जायेगी जो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 [illegible] बनाए गए नियमों में विहित की जाएगी।

Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana
GOVT. OF HARYANA

Chandigarh
3/4/2019

Chandigarh
3/4/2019

2/4/19

(10) सोसाइटी की परिसम्पति तथा निधियों का प्रबन्धन

I. सोसाइटी की आय के स्त्रोतों में सदस्यता फीस, वार्षिक अंशदान, सम्पति/परिसम्पति से किराया, ब्याज, परामर्श फीस, दान, उपहार, अनुदान इत्यादि के मदें प्राप्तियां शामिल होगी। सोसाइटी इसके सदस्यों से ब्याज मुक्त लघु अवधि कर्ज के द्वारा या ब्याज पर अनुसूचित बैंक/प्राईवेट बैंक/सरकारी बैंक/प्राईवेट फाईनेंस कम्पनी से भी निधियां ले सकती है। ब्याज पर अनुसूचित बैंक से कर्ज केवल पूंजीगत परिसम्पति के सृजन की खरीद के लिए लेगी तथा न ही किन्हीं परिस्थितियों के अधीन किसी आवर्ती राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए होगी।

II. शासकीय निकाय वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान इसकी अनुमानित आय तथा पूंजीगत तथा राजस्व खर्च के आधार पर सोसाइटी के वार्षिक बजट तैयार करेगा तथा अनुमोदन करेगा तथा सूचना के लिए वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसकी प्रति भी रखेगा।

III. सोसाइटी के बैंक लेखे ऐसे सदस्यों/पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किये जाएंगे जो समय समय पर शासकीय निकाय द्वारा निर्णीत किया जाए।

IV. सभी परिसम्पति तथा निधियां सोसाइटी से सम्बधित होगी तथा सोसाइटी में निहित होंगी।

V. सोसाइटी की सभी प्राप्तियां तथा भुगतान बैंक दस्तावेजों के माध्यम से किए जाएंगे (अर्थात ची ची/पे आर्डर/बैंक/बैंक ड्राफ्ट/आर टी जी एस) जिसमें सदस्यों से सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान की मदें सभी प्राप्तियां शामिल है तथापि शासकीय निकाय वित्तीय संव्यवहार की सीमाएं अवधारित कर सकता है जो कतिपय दशा मामलों में नकद में की जा सकती है।

11. सोसाइटी के लेखे

I. सोसाइटी का खजांची आय कर कानून तथा/या किसी अन्य प्राधिकार के अधीन यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों अर्थात रोकड़ बही, लेजर इत्यादि को रखने तथा अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेवार होगा जिसमें सोसाइटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च धन की सभी राशियों तथा सोसाइटी की परिसम्पति तथा दायित्वों के सम्बध में इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर भारत की घटक लेखाकार की सत्ता शामिल है।

II. सोसाइटी की लेखा पुस्तकें सोसाइटी के मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार जिला रजिस्ट्रार या उन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा तथा किसी सदस्य द्वारा कारबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए रखी जाएगी।

III. सोसाइटी के वार्षिक लेखे सोसाइटी के किसी दो प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

IV. शासकीय निकाय ऐसे पारिश्रमिक पर जो शासकीय निकाय द्वारा अवधारित किया जाए। प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए सोसाइटी के लेखों की लेखापरीक्षा तथा [illegible] प्रतिवेदन दायर करने के लिए घटक लेखाकार को नियुक्त करेगा, जो शासकीय निकाय के किसी सदस्य का पारिवारिक सदस्य नहीं होगा।

Distt. Registrar of Societies
GOVT. OF HARYANA
Department of Industries & Commerce Haryana

प्रधान उपप्रधान सचिव

12. सामान्य मुद्रा

सोसाइटी के पास एक सामान्य मुद्रा होगी जो सचिव/सचिव की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी तथा शासकीय निकाय द्वारा अनुमोदन के अनुसार जहां कहीं यह अपेक्षित हो लगाई जाएगी।

13. सोसाइटी का सम्मेलन: सोसाइटी स्वयं को एक समान लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित किसी अन्य सोसाइटी में सम्मेलित कर सकती है या अधिनियम की धारा 51 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के नियम 25 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार इस निमित पारित विशेष संकल्प द्वारा स्वयं समामेलित करने के लिए किसी अन्य सोसाइटी को अनुज्ञात कर सकती है।

14. सोसाइटी का विघटन:

I. सोसाइटी अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट उपबन्ध के अनुसार स्वयं का विघटन करने के लिए प्रस्ताव कर सकती है। यदि सोसाइटी की प्रक्रिया को चलाना कठिन हो जाता है या वह दिवालिया हो जाती है या किसी अन्य दबाव से या अपरिहार्य कारणों से इसे चलाना कठिन हो जाता है।

II. सोसाइटी के विघटन की घटना में, सोसाइटी की कोई भी परिसम्पत्ति सोसाइटी के सदस्यों को मिल जाएगी या में वितरित कर दी जाएगी।

III. इसकी परिसम्पत्ति तथा सम्पत्तियां पहले किसी दायित्व को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाएगी तथा छोड़ी गई सम्पत्तियां/परिसम्पत्तियां, यदि कोई हो, समरूप लक्ष्य तथा उद्देश्यों सहित स्थापित किसी अन्य सोसायटी को या साधारण लोकहित में उसके प्रयोग के लिए जिला कलैक्टर को अन्तरण के लिए विचारी जाएगी।

हम विनिम्न व्यक्ति जिनके नाम तथा पते इसके नीचे अंकित है, सोसाइटी को उप-विधियों की सही प्रति के रूप में उक्त को प्रमाणित करते है :—

क्रम संख्या	नाम व पिता का नाम	जन्म तिथि/ आयु	पता	व्यवसाय	पद	हस्ताक्षर
1	Janak Raj S/o Sh. Richhpal Singh	04.06.77	V.P.O. Buraj Bhangu Distt. Sirsa	Agriculturist	President	
2	Suresh Kumar S/o Sh. Prem Chand	04.10.77	V.P.O. Jodhkan Distt. Sirsa	Teacher	Vice President	
3	Saroj Bishnoi W/o Sh. Janak Raj	25.09.80	V.P.O. Buraj Bhangu Distt. Sirsa	Teacher	Secretary	
4	Raj Pal S/o Sh. Parkash Chahar	12.08.79	V. Shekhupuria Tehsil Rania Distt. Sirsa	Govt. Teacher	Cashier	
5	Harish Chander S/o Sh. Din Dayal Mehta	16.07.77	V. Dhaban P.O. Baragudha Distt. Sirsa	Agriculturist	Member Committee	

District Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana

6.	Nathu Ram S/o Sh. Balwant Singh	05.04.74	V. Shekhupuria Tehsil Rania Distt. Sirsa	Professor	Member Committee	
7.	Vinod Kumar S/o Sh. Rameshwar	04.06.75	V. Darba Khurd Distt. Sirsa	Teacher	Member Committee	
8.	Parveen Kalra S/o Sh. Roop Chand Kalra	01.01.78	VPO Sikanderpur Distt. Sirsa	Accountant	Member	
9.	Manish Kumar S/o Sh. Surja Ram	09.07.69	V. Mallewala Distt. Sirsa	Shopkeeper	Member	
10.	Jagdish Bhadu S/o Sh. Shishpal	15.04.77	V. Mallapura Tehsil Dabwali Distt. Sirsa	Advocate	Member	

Roop Chand
Numberdar
Ruri Bhoju (Sirsa)

सत्यवंत सीमरानी
ग्राम पंचायत, बुर्जमंजू
डा॰ अबुबशा (सिरसा)

Distt. Registrar of Societies
GOVT. OF HARYANA
Department of Industries & Commerce, Haryana